"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 242] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 3 जून 2014—— ज्येष्ठ 13, शक 1936

वाणिज्यिकर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 मई 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-58/2014/वाक/पांच (60). —— छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग को कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट सीमा तक कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट निर्बंधन एवं शर्तों के अध्यधीन रहते हुए दिनांक 01-06-2014 से 31-03-2015 तक की कालावधि के लिये उक्त अधिनियम के अधीन कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है :-

अनुसूची

अ. क्र.	माल का वर्ग	छूट की सीमा	निर्बंधन एवं शर्तें
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्र. 74 सन् 1956) की धारा 14 के खंड (चार) के प्रवर्ग (चार) में वर्णित स्टील बार (क्वायल फार्म को छोड़कर) एवं प्रवर्ग (पांच) में वर्णित स्टील स्ट्रक्चरल.	अंशत: इस प्रकार जिससे कि कर की दर घटकर 3% हो जाय.	(1) जब ऐसे माल का विक्रय छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा किया जाए, जो उसके छत्तीसगढ़ में स्थित लघु अथवा मध्यम औद्योगिक इकाई में, निर्मित हो. **स्पष्टीकरण** :- (i) इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए लघु अथवा मध्यम औद्योगिक इकाई से आशय ऐसी विद्यमान इकाई जिसका दिनांक 31-03-2014 तक तथा 01-04-2014 या इसके पश्चात् उत्पादन में आने वाली इकाई का वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक तक, संयंत्र एवं मशीनरी में कुल पूंजी विनियोजन, अवक्षयण (depreciation) के पूर्व रु. 10 करोड़ से अधिक न हो.

(1)	(2)	(3)	(4)
			(ii) इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए संयंत्र एवं मशीनरी में विनियोजन की गणना भारत शासन के लघु उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक का. आ. 1722(अ) दिनांक 5 अक्टूबर, 2006 के अनुसार की जायेगी. (2) कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट छूट के प्रयोजनार्थ, रजिस्ट्रीकृत व्यापारी जो ऐसे माल का निर्माण छत्तीसगढ़ में स्थित, उसकी औद्योगिक इकाई में किया हो, से रजिस्ट्रीकृत व्यापारी संलग्न प्रारूप-I में घोषणा प्राप्त करेगा अथवा रजिस्ट्रीकृत व्यापारी से ऐसा माल क्रय किया है, जिसने उसे ऊपर (1) में वर्णित रजिस्ट्रीकृत व्यापारी से क्रय किया है, त्रैमासिक विवरण-पत्रों के साथ घोषणा प्रस्तुत करेगा.
2.	केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्र. 74 सन् 1956) की धारा 14 के खंड (चार) के प्रवर्ग (चार) में वर्णित स्टील बार (क्वायल फार्म को छोड़कर) एवं प्रवर्ग (पांच) में वर्णित स्टील स्ट्रक्चरल.	अंशतः इस प्रकार, जिससे कि कर की दर घटकर 4% हो जाय.	(1) जब ऐसे माल का विक्रय छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा किया जाए, जिसने ऊपर (1) में वर्णित इकाई से भिन्न उसकी औद्योगिक इकाई में निर्माण किया हो, (2) कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट छूट के प्रयोजनार्थ, रजिस्ट्रीकृत व्यापारी जो ऐसे माल का निर्माण छत्तीसगढ़ में स्थित, उसकी औद्योगिक इकाई में किया हो, से रजिस्ट्रीकृत व्यापारी संलग्न प्रारूप-II में घोषणा प्राप्त करेगा अथवा रजिस्ट्रीकृत व्यापारी से ऐसा माल क्रय किया है, जिसने उसे ऊपर (1) में वर्णित रजिस्ट्रीकृत व्यापारी से क्रय किया है, त्रैमासिक विवरण-पत्रों के साथ घोषणा प्रस्तुत करेगा.

प्रारूप-I
घोषणा

अधिसूचना क्रमांक .... दिनांक .... के अधीन

मैं, (व्यापारी का नाम) .... छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन पंजीयन प्रमाण-पत्र (टिन) .... के धारक एतद्द्वारा यह घोषणा करता हूं कि नीचे दिए गए माल का विक्रय मेरे द्वारा छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन पंजीयन प्रमाण-पत्र (टिन) .... के धारक मेसर्स .... (क्रेता व्यापारी का नाम) को किया गया है.

उक्त माल मेरे द्वारा, मेरे स्वयं की औद्योगिक इकाई में निर्मित है जो छत्तीसगढ़ में स्थित है, और ऐसे माल के विक्रय पर 3 प्रतिशत की दर से कर प्रभारित किया गया है और उक्त माल के विक्रय के दिनांक को, पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रचलन में था.

अथवा

उक्त माल मेरे द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यापारी से क्रय किया गया है, जो उसे अन्य ऐसे व्यापारी, जिसने स्वयं की छत्तीसगढ़ में स्थित औद्योगिक इकाई में निर्माण किया है, से क्रय किया गया है.

घोषणा पर माल के विक्रय का विवरण

विक्रेता व्यापारी का बिल/इनवॉइस/कैश मेमो/चालान का विवरण	माल का विवरण	जिसने माल का निर्माण, उसके स्वयं के औद्योगिक इकाई में किया है, का नाम व पता	मात्रा	मूल्य (रुपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		कुल योग		

दिनांक ....

स्थान ....

....

विक्रेता व्यापारी का हस्ताक्षर सील सहित

प्रारूप-II

घोषणा

अधिसूचना क्रमांक .... दिनांक .... के अधीन

मैं, (व्यापारी का नाम) .... छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन पंजीयन प्रमाण-पत्र (टिन) .... के धारक एतद्द्वारा यह घोषणा करता हूं कि नीचे दिए गए माल का विक्रय मेरे द्वारा छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन पंजीयन प्रमाण-पत्र (टिन) .... के धारक मेसर्स .... (क्रेता व्यापारी का नाम) को किया गया है.

उक्त माल मेरे द्वारा, मेरे स्वयं की औद्योगिक इकाई में निर्मित है जो छत्तीसगढ़ में स्थित है, और ऐसे माल के विक्रय पर 4 प्रतिशत की दर से कर प्रभारित किया गया है और उक्त माल के विक्रय के दिनांक को, पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रचलन में था.

अथवा

उक्त माल मेरे द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यापारी से क्रय किया गया है, जो उसे अन्य ऐसे व्यापारी, जिसने स्वयं की छत्तीसगढ़ में स्थित औद्योगिक इकाई में निर्माण किया है, से क्रय किया गया है.

घोषणा पर माल के विक्रय का विवरण

विक्रेता व्यापारी का बिल/इनवॉइस/कैश मेमो/चालान का विवरण	माल का विवरण	जिसने माल का निर्माण, उसके स्वयं के औद्योगिक इकाई में किया है, का नाम व पता	मात्रा	मूल्य (रुपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		कुल योग		

दिनांक ....

स्थान ....

....

विक्रेता व्यापारी का हस्ताक्षर सील सहित

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव

रायपुर, दिनांक 30 मई 2014

क्रमांक एफ-10-58/2014/वाक/पांच (60). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-58/2014/वाक/पांच (60), दिनांक 30-05-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Raipur, the 30th May 2014

NOTIFICATION

No. F-10-58/2014/CT/V(60). — In exercise of the powers conferred by section 15-B of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government hereby exempts the class of goods specified in column (2) from payment of tax under the said Act to the extent specified in column (3), subject to restriction and conditions specified in column (4) of the schedule below for the period from 01-06-2014 to 31-03-2015 :-

SCHEDULE

S. No.	Class of goods	Extent of exemption	Restriction and conditions
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Steel bars (excluding in coil form) as specified in category (iv) and steel structural as specified in category (v) of clause (iv) of section 14 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956).	Partly so as to reduce the rate of tax to 3%	(1) When such goods are sold by dealer registered under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005, which has been manufactured in his small or medium scale industrial unit situated in Chhattisgarh. **Explanation** :- (i) for the purpose of this notification small or medium scale industrial unit means, such existing unit, whose total capital investment, in plant and machinery, does not exceed Rs. 10 crore, before depreciation, upto dated 31-03-2014 and industrial unit commencing production on or after 01-04-2014, up to date of commercial production. (ii) for the purpose of this notification investment in plant & machinery shall be calculated as per notification No. S. O. 1722(E) dated 5th October 2006 of Ministry of Small Scale Industries, Govt. of India. (2) The registered dealer intending to avail exemption specified in column (2) shall obtain declaration in the appended Form-I from the registered dealer who has manufactured such goods in his industrial unit situated in Chhattisgarh or has purchased such goods from a registered dealer who has purchased them from a registered dealer, referred in (1) above, submit the declaration along with quarterly return.

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Steel bars (excluding in coil form) as specified in category (iv) and steel structural as specified in category (v) of clause (iv) of section 14 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956).	Partly so as to reduce the rate of tax to 4%	(1) When such goods are sold by dealer registered under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005, who has manufactured such goods in his industrial unit other than a unit mentioned in (1) above, situated in Chhattisgarh. (2) The registered dealer intending to avail exemption specified in column (2) shall obtain declaration in the appended Form-II from the registered dealer who has manufactured such goods in his industrial unit situated in Chhattisgarh or has purchased such goods from a registered dealer who has purchased them from a registered dealer, referred in (1) above, submit the declaration along with quarterly return.

FORM-I

Declaration

(Under CTD Notification No. .... Dated ....)

I, (Name of the Dealer .... holding registration certificate No. (TIN) .... under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 hereby declare that the goods particulars of which have been given below sold by me to (Name of the purchasing dealer) Shri/M/s. .... of .... holding registration certificate No. (TIN) .... Under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005.

have been manufactured by me in my own industrial unit, situated in the state of Chhattisgarh and tax has been charged @3 percent on the sale price of such goods and that the said registration certificate was in force on the date of sale, of the aforesaid goods.

OR

have been purchased by me, from a registered dealer who had purchased them from another such dealer, who has manufactured such goods in his own industrial unit in Chhattisgarh.

Particulars of goods sold on declaration

Particulars of bill/invoice/cash memo/challan of the selling dealer	Description of the goods	Name and address of the dealer who manufactured the goods in his own industrial unit	Quantity	Value (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Total		

Date ....

place ....

....

Signature of the selling dealer with seal

FORM-II

Declaration

(Under CTD Notification No. .... Dated ....)

I, (Name of the Dealer) .... holding registration certificate No. (TIN) .... under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 hereby declare that the goods particulars of which have been given below sold by me to (Name of the purchasing dealer) Shri/M/s .... of .... holding registration certificate No. (TIN) .... Under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005.

have been manufactured by me own in my own industrial unit, situated in the state of Chhattisgarh, and tax has been
charged @4 percent on the sale price of such goods and that the said registration certificate was in force on the date of sale, of the aforesaid goods.

OR

have been purchased by me from a registered dealer who had purchased from another such dealer, who has manufactured such goods in his own industrial unit in Chhattisgarh.

Particulars of goods sold on declaration

Particulars of bill/invoice/cash memo/challan of the selling dealer (1)	Description of the goods (2)	Name and address of the dealer who manufactured the goods in his own industrial unit (3)	Quantity (4)	Value (Rs.) (5)
		Total		

Date ....

place ....

....
Signature of the selling dealer with seal

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.